41. बिजेन्द्र पुत्र रामजीलाल।
42. प्रकाशचन्द पुत्र रामजीलाल।
43. महेश पुत्र रामजीलाल।
44. इन्द्रा पत्नि गोपाल जातियान अहीर निवासीयान् ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

.....तरतीवी रेस्पाडैन्टस।

(राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75
राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितिः–
01.श्री पवन चौहान –वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 सं. 1

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट्स द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ (अलवर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2024 से व्यथित होकर इस न्यायालय में पेश की गई है जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 1751/451, 1761/462, 1783/602, 1785/604, 603, 605, 1787/607, रकबा 2.2750 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ में स्थित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का रामबास तह. गोविन्दगढ द्वारा एक रिपोर्ट न्यसायालय तहसीलदार गोविन्दगढ के समक्ष पेश कर अपीलाण्ट्स व तरतीवी रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजी पर ग्रेवल सडक बनाकर कृषि योग्य भूमि का स्वरूप बिगाडकर अकृषि प्रयोग किये जाने बाबत जाहिर किया गया है। जिस पर अपीलान्ट्स व तर. रेस्पो. को उक्त तहसीलदार गोविन्दगढ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अन्तर्गत धारा 90 ए की उपधारा 5सपठित धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् तहत अदालत द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया।

उक्त आराजी के अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पो0 काबिज खातेदार है तथा मौके पर वर्तमान में काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी पर हम अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पो0 द्वारा सम्पूर्ण रकबा आराजी पर कोई ग्रेवल सडकव अवैधानिक निर्माण दुकान मकान इत्यादि नहीं किया गया है। बल्कि हम अपीलाण्टस व तर. रेस्पो0 ने विधिक प्रकिया एंव प्रावधानों के अनुसार उक्त आराजी में नियमानुसार निर्धारित रकबा पर रिहायश हेतु रिहायशी मकानात व पशुधन चारा व कृषि उपकरण रखने हेतु बाडा का निर्माण किया है। प्रकरण में धारा 90 ए की उप धारा 5 सपठित धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। लेकिन पटवारी हल्का ने बिना कोई पैमाईश किये गलत रिपोर्ट पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा बिना कोई जॉच किये कार्यवाही करते हुये अलोच्य आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। तहत अदालत के नोटिस की कोई विधिक सम्यक तामील अपीलाण्ट व तर. रेस्पो. को नहीं हुई और ना ही तहत अदालत ने उन्हे सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिया, जिस कारण अपीलाण्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष नहीं रख सके। अपीलाण्ट व तर. रेस्पो. ने कृषि भूमि का स्वरूप नहीं बदला है और ना ही अकृषि प्रयोजन के कार्य में ली जा रही है। बिना सुनवाई का अवसर दिये तहत अदालत ने अलौच्य आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने के कारण निरसत फरमाया जावे तथा धारा 90 ए की उप धारा 5 सपठित धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त करते हुये तहसीलदार गोविन्दगढ का आलौच्य आदेश दिनांक 23.04.2024 निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 का जर्ये नोटिस तल किया गया तथा तहत अदालत का रिकार्ड (पत्रावली) तलब किया गया।

हमने सरकारी पैरोकार एवं अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता को सुना। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जिसके चरण सख्या 01 में अपील मीमों दर्ज तथ्यों का उल्लेख

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

किया गया तथ्यात्मक स्थिति में विवादित भूमि की स्थिति और अधिकारों का उल्लेख करते हुये करते हुये तर्क दिया है कि पटवारी हल्का ने बिना उचित मौके का निरीक्षण और बिना पैमाईश किए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पक्षकारों की उपस्थिति में साक्ष्य पर विचारा किए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। कृषि भूमि के स्वरूप के सबंध में तर्क दिया है कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीयों ने कोई ग्रवेल सडक दुकान मकान या अन्य अवैध निर्माण नहीं किया है। भूमि पर केवल रिहायशी मकानात बाडा और पशुधन रखने की संरचनाए है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय पेश किये।

1. A.K. Kraipak & Ors. V/s. Union of india (1969)
2. State of Rajasthan V/s. Harphool Singh (200)
3. Ramgopal v/s. State of Rajasthan (1995)
4. Khet Singh v/s. State of rajasthan (2007)
5. Duli chand panchayat (1987)
6. Biharilal v/s. State of rajasthan (2002)

पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के तर्को का विरोध करते हुये तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश नियमानुसार पारित किया गया है जिसमें कोई तात्विक त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत अपील में मुख्य विवाद बिन्दु यह है कि "आया अपीलान्ट्स व तरतीवी रेस्पो0 द्वारा उक्त कृषि योग्य भूमि का स्वरूप बदल कर अकृषि गतिविधियॉ की जा रही है ?

तहत अदालत तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा उपरोक्त आराजी के सबंध में पटवारी हल्का रामबास की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट्स व तरतीवी रेस्पो0 के विरूद्व धारा 90 ए की उप धारा 5 सपठित धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2024 पारित किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश का मुख्य आधार पटवारी हल्का रामबास की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2023 है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अनिल पुत्र महेशचन्द सरपरस्त माता खुद विलयलक्ष्मी वगैरा साकिन रामबास द्वारा कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड कर अकृषि उपयोग किये जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पटवारी हल्का रामबास की उक्त रिपोर्ट का कोई सत्यापन/प्रमाणिकता (Verified) नहीं किया है। जबकि अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत अपील में जो फोटोग्राफस पेश किये गये है उनके अवलोकन से तथ्य स्पस्ट होता है कि उपरोक्त आराजी पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं है और ना ही ग्रेवल सडक इत्यादि बनाई हुई है। अपीलाण्ट्स के इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार गोविन्दगढ से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट कमांकः विविध/2025/366 दिनांक 17.07.2025 से भी होती है। तहसीलदार गोविन्दगढ से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर वर्तमान में कोई निर्माण कार्य ग्रेवल सडक, मकान व अकृषि प्रयोजन हेतु किसी प्रकार की कोई गतिविधियॉ नहीं होना बताया गया है। यद्यपि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.01.2024 को काश्तकार जगरूप पुत्र रूपनारायण व प्रकाश पुत्र रामजीलाल के विरूद्व भी इस आशय का की रिपोर्ट तहसील कार्यालय गोविन्दगढ में पेश की गई थी तथा इससे पूर्व दिनांक 20.12.2023 को भी इन्ही व्यक्तियों के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। परन्तु तहसीलदार गोविन्दगढ को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट्स के सत्यापन हेतु नियमानुसार स्वंय के द्वारा मौका निरीक्षण करना चाहिए था। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा उक्त आराजी का कोई साईट निरीक्षण किया गया हो ऐसा कोई तथ्य अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। विधिक रूप से विवाद की विषयवस्तु पर पहुचने के लिए निर्णय पारित करने से पूर्व समुचित मौका मुआयना आवश्यक था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश के कम में जो आपत्तियॉ उठाई गई है उनसे हम सहमत है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक विनिश्चय पेश किये गये है वह भी हस्तगत प्रकरण में हमारा मार्गदर्शन करते है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार गोविन्दगढ से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 17.07.2025 के अनुसार वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ के आराजी खसरा न. 1751/451 रकबा 0.0632 है0, 1761/462 रकबा 0.3414, 1783/602 रकबा 0.1896, 1785/604 रकबा 0.4046, 603 रकबा 0.5943, 605 रकबा 0.0379, 1787/606 रकबा 0.1264, 1789/607 रकबा 0.5184 कुल किता 8 कुल रकबा 2.2758 है0 हाल जमाबंदी रामबास के खाता संख्या 813 में उक्त आराजी खातेदारान उर्मिला पत्नी स्व0 सुरेश, ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम रामबास के आराजी खसरा नंबर 1751/451 रकबा 0.0632 है0 के अलावा शेष सभी खसरों पर जालूकी से गोविन्दगढ़ जाने वाली सड़क से लगते हुए हैं व रेलवे लाईन के दोनों तरफ स्थित हैं। खसरा नंबर 603, 1785/604 में कृषि यंत्रों की रखने एवं पशुओं के लिए चारा (तूडा) भरने के लिए स्वयं खातेदारों ने दो तीन गैत बना रखे हैं तथा अन्य खसरों में भाइयों ने बंटवारे के रूप में मिट्टी की सडक बनाकर रास्ता बना रखा है। बाकी शेष खसरे वर्तमान में पड़त पड़े हुए हैं। मौके पर कोई गैर–कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार तहसीलदार गोविन्दगढ की वर्तमान मौका रिपोर्ट से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मौके पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु खातेदारों द्वारा अपने कृषि यंत्र रखने एवं पशुओं के लिए चारा भरने के काम में ली जा रही है। खातेदारों का यह कृत्य अकृषि कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। अतः ऐसी स्थिति में तथा उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश में सारभूत तथ्यों को अभाव होने एवं विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि तहत अदालत तहसीलदार गोविन्दगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा आराजी ख.न. 1751/451, 1761/462, 1783/602, 1785/604, 603, 605, 1787/606, 1789/607, रकबा 2.2758 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ के सबंध में धारा 90 ए की उप धारा 5 सपठित धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2024 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/14/2024	2024/22	30.04.2024	29.07.2025

1. उषा पुत्री जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
2. दिनेश पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।

.....अपीलान्टस।

बनाम

1. तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर (राज.)

——असल रेस्पोडेन्ट

2. अनिल पुत्र महेशचन्द नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता खुद विजयलक्ष्मी।
3. उर्मिला पत्नि स्व0 सुरेश।
4. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल।
5. कंवरपाल पुत्र रामचरण ।
6. कुशालचन्द पुत्र भोलू।
7. कालू पुत्र नन्दन।
8. गोविन्दराम पुत्र भीमसिंह।
9. जगदीश दत्तक पुत्र नत्थी।
10. जगरूप पुत्र रूपनारायण।
11. तेजपाल पुत्र सुन्दरलाल ।
12. देवीसिंह पुत्र रतनलाल।
13. नेमीचन्द पुत्र रतनलाल।
14. नीलम पुत्री सुरेश।
15. पूजा पुत्री सुरेश।
16. पूनम पुत्री सुरेश।
17. प्रकाशचन्द पुत्र रामजीलाल।
18. पूरन पुत्र गैंदा।
19. प्रभा पुत्र भोलू।
20. प्रेमप्रकाश पुत्र परमा।
21. परमाराम पुत्र भौलू।
22. बलबीर पुत्र कन्हैया।
23. विजेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल ।
24. भगवान पुत्र गैंदा।
25. भीमसिंह पुत्र गैंदा।
26. मु0नारायणी पत्नि स्व0 श्योराम।
27. महेन्द्र पुत्र भोलू।
28. यादराम पुत्र श्योराम।
29. योगेश पुत्र जगदीश।
30. राजेश उर्फ नाटी पुत्र श्योराम।
31. रामजीलाल पुत्र रूपनारायण।
32. विजयलक्ष्मी पत्नि महेशचन्द।
33. श्रीगोपाल पुत्र सुन्दरलाल।
34. सुनील पुत्र महेशचन्द नाबालिग संरक्षक सरपरस्त माता खुद विजयलक्ष्मी।
35. समला पत्नि जगदीश।
36. सरजीत पुत्र रामजीलाल ।
37. सुरजसिंह पुत्र रामजीलाल।
38. सोनू पुत्र सुरेश।
39. हरिकिशन पुत्र श्योराम।
40. दिनेश यादव पुत्र गंगासिंह।

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)